उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2753/9.1.16- 87सा/13
लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1916 (उत्तर प्रदश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत शाहजहॉपुर जिला मेरठ का गठन करने हेतु अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-1305/ 9-1-16-87सा/13, दिनांक 25 जुलाई, 2016 जारी की गयी थी और दिनांक 25 जुलाई, 2016 को गजट में प्रकाशित की गयी थी,'

और चूँकि कोई भी आपत्ति या सुझाव निर्धारित नियत समय के भीतर प्राप्त नही हुआ है, अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व,, स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृष्येतर, कार्यकलापों में सेवायोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुये अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त सेक्रमणशीन क्षेत्र के लिये एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत, शाहजहॉपुर, जिला मेरठ के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

उत्तर गाटा संख्या	ग्राम शाहजहांपुर के 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778,, 780, 781, 782, 785, 786, 787, 799, 800,804, 805, 817, 818, 821, 822, 823, 824, 825, 649, 646, 645, 569, 571, 573, 574, 579, 580, 493, 494, 495, 496, 550, 551, 552, 541, 533, 532, 446, 547, 448, 444, 440, 439, 438, 1718, 1715, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1738
दक्षिण गाटा संख्या.	ग्राम शाहजहांपुर के 1581, 1574, 1575, 1569, 1568, 1282, 1283, 1284, 1285, 1268, 1267, 1266, 1240, 1238, 1239, 1245, 1246, 1227, 1231, 1219, 1188, 1213, 1216, 1217, 875, 874, 873, 870, 869, 883, 882, 885, 890, 891, 896, 899, 901, 904 ,941 ,942
पूरब गाटा संख्या	ग्राम शाहजहांपुर के 1740, 1657, 1656, 1660, 1663, 1664, 1665, 1666, 1644 1641, 1639, 1621, 1622, 1612, 1610, 1609, 1608, 1584, 1582
पश्चिम गाटा संख्या	ग्राम शाहजहांपुर के 769, 770, 947, 948

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संख्या–2753 (1)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अतिरिक्त तथा एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–2753 (2)/9.1.2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशिकान्त कनौजिया)
अनु सचिव।

UTTAR PRADESH SHASSAN
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-2753/9-1-2016-87Sa/13 dated; 29 December, 2016

NOTIFICATION

No2753/9-1-2016-87Sa/13

Lucknow-29 Dated: December, 2016

Whereas notification no 1305/IX-1-16-87Sa /13 dated Julyl 25, 2016 was issued and published in the Gazette dated Julyl 25, 2016 with a view to inviting objections and suggestions for issuance of notification to declare the area specified in the schedule as the transitional area for constituting Nagar Panchayat Shahjahanpur in District Meerut as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no II of 1916),

And Whereas no objection or suggestion has been received within the stipulated time,

Now, therefore in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no 11 of 1916) the Governor having regard to the population of the area, the density of the population there in, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non agricultural activities and the economic importance, is pleased to notify that the local area the limit of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purposes of Part 1X-A of the Constitution and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as the Nagar Panchayat Shahjahanpur District Meerut.

SCHEDULE

North Plot No.	771, 772, 773, 775, 776, 777, 778,, 780, 781, 782, 785, 786, 787, 799, 800, 804, 805, 817, 818, 821, 822, 823, 824, 825, 649, 646, 645, 569, 571, 573, 574, 579, 580, 493, 494, 495, 496, 550, 551, 552, 541, 533, 532, 446, 547, 448, 444, 440, 439, 438, 1718, 1715, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1738 of village Shahjahanpur
South	1581, 1574, 1575, 1569, 1568, 1282, 1283, ,1284 1285, 1268, 1267,

Plot No.	1266, 1240, 1238, 1239, 1245, 1246, 1227, 1231, 1219, 1188, 1213, 1216, 1217, 875, 874, 873, 870, 869, 883, 882, 885, 890, 891, 896, 899, 901, 904, 941, 942 of village Shahjahanpur
East Plot No.	1740, 1657, 1656, 1660, 1663, 1664, 1665, 1666, 1644, 1641, 1639, 1621, 1622, 1612, 1610, 1609, 1608, 1584, 1582, of village Shahjahanpur
West Plot No.	769, 770, 947, 948 of village Shahjahanpur

27/12/2016

(Shree Prakash Singh)
Secretary